Ex.P.-74

कथन – विकास सिन्हा

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	विकास सिन्हा पिता श्री आर.के. सिन्हा
उम्र	–	27 वर्ष
पता	–	केदारपुर, जगन्नाथ मंदिर के पास अंबिकापुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	78280–66886
व्यवसाय	–	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सविदा), नांगरिक आपूर्ति निगम, सूरजपुर (छ0ग0)

——00——

मैं विकास सिन्हा पूछने पर बता रहा हूं कि, मैं वर्तमान में कनिष्ठ तकंनीकी सहायक (सविदा), नागरिक आपूर्ति निगम सूरजपुर के पद पर पदस्थ हूं। मेरा मोबाईल नंबर 78280–66886 जो मेरे नाम पर है। आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर पर विभिन्न दिनांक को जिला प्रबंधक, सूरजपुर श्री **आर. एन. सिंग** से हुई बातों का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 13.12.2014 के 11:22:27 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 13.12.2014 के 11:24:53 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 98261–71941 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री सिंग को बताया गया था कि कल जय हनुमान एग्रो विश्रामपुर का 02 लॉट चावल आया था, जिसमें से एक लॉट 30–31 प्रतिशत और दूसरा लॉट 26–27 प्रतिशत रिफ्रेक्शन (ब्रोकन, डेमेज तथा डिस्कलर मिलाकर) था, उसका रिजेक्शन बना दू क्या? तब सिंग साहब ने कहा था कि एक लॉट चावल ले लो और दूसरा रिजेक्ट कर दो और पिन्टु अग्रवाल (जय हनुमान एग्रो राईस मिल विश्रामपुर वाला) को बता देना कि एक लॉट कंप्रोमाईज कर लिया हूं, दुबारा नहीं लूंगा, और पिन्टु से बोल देना कि कलेक्शन का पैसा आज दे देगा। इस पर मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि पिंटु अग्रवाल से कलेक्शन का पैसा आ गया है, आज पहुंचा दूंगा। सिंग साहब द्वारा मेरे से पूछा गया था कि सभी राईस मिलर का कलेक्शन का पैसा आ गया है, तब मैंने उन्हें बताया था कि महामाया राईस मिल और एन.एच.एग्रो, का बचा है, बाकि सब का आ गया है क्योंकि उस समय तक पवन राईस मिल, कृष्णा एग्रो, जिंदल एग्रो, विकास एग्रो, जय हनुमान राईस मिल तथा आदि शक्ति राईस मिल से कलेक्शन का पैसा कुल 1,75,000रू.

आ गया था। सिंग साहब ने कहा था कि सब राईस मिलर्स का कलेक्शन का पैसा इकठ्ठा हो जाये तो लेकर आना और यह भी कहा था कि पिंटु अग्रवाल का चावल बीच में रखवा देना।

दिनांक 23.01.2015 के 14:53:46 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 23.01.2015 के 14:55:11 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 98261–71941 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा सिंग साहब को बताया गया था कि आदित्य शांति राईस मिल वाले कलिंदर जायसवाल का वर्ष 2013–14 का पुराना चावल 07 लॉट चावल आना है उसमें से 01 लॉट अभी आया है, उसको नया चावल के पहले खाली करवा लेता हूं। इस पर सिंग साहब ने बताया था कि कलेक्टर साहब ने भी पुराना चावल लेने के लिये कहा है, चावल खाली करवा लो और पी.डी.एस. मे वितरित करवा देना। सिंग साहब ने यह भी कहा था कि आदित्य शांति राईस मिल वाले का चावल पहले प्रतापपुर में रिजेक्ट किये थे, उससे कलेक्शन के पैसे के बारे में स्पष्ट बात कर लेना कि उसकी तरफ से चावल कोई भी जमा कराये मैं कलेक्शन का पैसा उसी से (कलींदर जायसवाल) लूंगा।

दिनांक 06.02.2015 के 16:56:04 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 06.02.2015 के 16:57:15 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 98261–71941 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में सिंग साहब द्वारा 02 क्विंटल गेहू अपने घर भिजवाने के लिये कहा गया था और यह भी बोला गया था कि राईस मिलर्स से कलेक्शन हो जाने पर 01 लाख रूपया घर पर पहुंचा देना। मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि राईस मिलर्स से कलेक्शन हो गया है, शाम को 01 लाख रूपया आपके घर पर पहुंचा दुंगा और राईस मिल वाईस कलेक्शन का डिटेल बाद में बना कर दे दुंगा। शाम को श्री सिंग साहब का भतीजा सोनू मेरे पास पैसे लेने आया था तो मैंने उसको 01 लाख रूपया दे दिया था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ